ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा–846004

अभिषद् की बैठक दिनांक 27.11.2022 का कार्यवृत्त

समय: 01:00 बजे अपराहन।

स्थान: कुलपति आवासीय कार्यालय का सभागार, नरगौना परिसर, कामेश्वर नगर, दरभंगा।

उपस्थिति:–

1.	प्रो० सुरेन्द्र प्रताप सिंह, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ० गोपालजी ठाकुर	–	सदस्य
3.	डॉ० फैयाज अहमद	–	सदस्य
4.	डॉ० हरि नारायण सिंह	–	सदस्य
5.	प्रो० धनेश्वर प्रसाद सिंह	–	सदस्य
6.	प्रो० विजय कुमार यादव	–	सदस्य
7.	प्रो० अशोक कुमार मेहता	–	सदस्य
8.	प्रो० अजय नाथ झा	–	सदस्य
9.	डॉ० अमर कुमार	–	सदस्य
10.	प्रो० विनोद कुमार चौधरी	–	सदस्य
11.	प्रो० नैयर आजम	–	सदस्य
12.	प्रो० एस०के० वर्मा	–	सदस्य
13.	श्रीमती मीना कुमारी	–	सदस्य
14.	डॉ० वैद्यनाथ चौधरी	–	सदस्य
15.	श्री सुजीत पासवान	–	सदस्य
16.	डॉ० नन्द कुमार	–	सदस्य
17.	प्रो० मुश्ताक अहमद, कुलसचिव	–	सचिव

माननीय अध्यक्ष की अनुमति से सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कुलसचिव ने गणपूर्त्ति पूरी होने की सूचना सदन को दी और कहा कि आज की अभिषद् की बैठक सिन्डेट की आगामी बैठक से संबंधित कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित की गई है। इसमें वित्त समिति द्वारा प्रस्तावित बजट एवं विद्वत् परिषद् की बैठक दिनांक 25.11.2022 के द्वारा पारित निर्णयों/अनुशंसाओं पर विचार किया जाना है ताकि इन्हें नियमानुसार सिनेट की आगामी बैठक से संबंधित सम्पूर्ण कार्यसूची में शामिल किया जा सके। अब मैं अध्यक्ष की अनुमति से कार्यसूची में शामिल मदों पर विचार हेतु सदन से अनुरोध करता हूँ। मद संख्या – 1 जो गत बैठक दिनांक 14.11.2022 की सम्पुष्टि है, पर विचार किया जाय।

इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए डॉ० विनोद कुमार चौधरी एवं डॉ० वैद्यनाथ चौधरी ने कहा कि गत बैठक में उनलोगों के द्वारा उठाये गये बिन्दु जो श्री सरोज कुमार चौधरी के प्रोन्नति से एवं डॉ० निर्भय नारायण चौधरी से संबंधित है, कार्यवृत्त में अंकित नहीं है।

कुलसचिव ने सूचित किया कि दोनों बिन्दु कार्यवृत्त के पृष्ठ संख्या – 6 में अंकित है। चूँकि कई माननीय सदस्य एक ही बिन्दु को उठाते है, तो इन प्रस्तावों को माननीय सांसद–सह–अभिषद् सदस्य, डॉ० गोपालजी ठाकुर के नाम से अंकित किया गया है। कुलसचिव ने कहा कि कार्यालय प्रयास करती है कि सभी सदस्यों द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का उल्लेख कार्यवृत्त में किया जाय। फिर भी यदि कोई बिन्दु जो मौखिक रूप से उठाये जाते है और कार्यवृत्त में शामिल नहीं हो पाते है, उन्हें यदि माननीय सदस्य लिखित रूप में देगें तो विश्वविद्यालय उसे कार्यवृत्त में शामिल मानते हुए आवश्यक कार्रवाई करेगी।

डॉ० विनोद कुमार चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय में एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में जहाँ बी०एड० की पढ़ाई होती है, के बी०एड० कर्मियों के वेतन–निर्धारण एवं सेवा–सम्पुष्टि के बिन्दुओं पर गठित जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कई विसंगतियाँ है, इसलिये इस की जाँच हेतु एक वृहत् समिति गठित की जाय।

माननीय सदस्य, प्रो० हरिनारायण सिंह ने सूचित किया कि स्कूल गुरू के साथ हुए समझौते को राजभवन, पटना द्वारा गठित जाँच समिति ने भी अवैध माना है। उसको 21 लाख रूपये दिया गया। ऐसी भुगतान वसूलीयोग्य है। पब्लिक डिमान्ड रिकॉवरी एक्ट के तहत उक्त राशि की वसूली तत्कालीन कुलपति, कुलसचिव एवं निदेशक से की जानी चाहिये।

Scanned with CamScanner

कुलसचिव ने सूचित किया कि स्कूल गुरू का मामला Subjudice हो गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में Arbitrator नियुक्त कर दिया है, जहाँ मामला चल रहा है। इसलिये जैसा माननीय सदस्य का प्रस्ताव है, उस आलोक में Subjudice रहने के कारण वसूली की कार्रवाई नियमानुकूल नहीं होगी।

डॉ० सिंह ने गत बैठक में लिये गये निर्णय जो 29 पैसे की दर से भुगतान करने के प्रसंग में है, के संबंध में कहा कि आवश्यकता से अधिक पुस्तकें मंगाई गई, इसकी जाँच आवश्यक है। डॉ० अशोक कुमार मेहता, प्रभारी निदेशक, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ने इस पर बहस में भाग लेते हुए सूचित किया कि उतनी ही किताबें मंगाई गई, जितनी जरूरत थी और इनका शत-प्रतिशत वितरण भी छात्र-छात्राओं को कर दिया गया। उन्होंने इसकी जाँच करा ली है। इस उत्तर से माननीय सदस्य डॉ० सिंह सन्तुष्ट हो गये और कहा कि अब उन्हें कुछ नहीं कहना है। मेरा उद्देश्य सिर्फ उसके औचित्य के प्रसंग में था।

मद सं० 1. अभिषद् की गत बैठक दिनांक 14.011.2022 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से गत बैठक के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया गया।**

मद सं० 2. विद्वत् परिषद् की बैठक दिनांक 25.11.2022 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय : **इस पर विचार करने के क्रम में प्रो० अशोक कुमार मेहता ने ध्यान आकृष्ट किया कि विद्वत् परिषद् की बैठक दिनांक 25.11.2022 के अन्यान्य मद संख्या – 1 के अन्तर्गत निर्णय लिया गया था कि मैथिली एवं उर्दू (50 अंकों का) रखने वाले छात्रों को भी इन विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु अर्हित माना जाय।**

यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त कार्यवृत्त के अन्यान्य मद संख्या – 4 के अन्तर्गत किये गये निर्णय में अंकित किया जाय कि उपर्युक्त प्रावधानों के साथ PAT - 2020 एवं 2021 एवं आगे भी कोर्स-वर्क में नामांकन के लिये अनुमोदित किया जाय।

उपर्युक्त संशोधनों के साथ विद्वत् परिषद् की बैठक दिनांक 25.11.2022 के कार्यवृत्त/अनुशंसाओं को अनुमोदित किया गया।

मद सं० 3. वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.11.2022 के कार्यवृत्त पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.11.2022 के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया जाता है। साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया कि वित्त समिति द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में व्याप्त त्रुटियों को संबंधित विभाग द्वारा सुधार कर आगामी सिनेट में रखा जाय।**

अति०मद सं० 01. 'पद सृजन, अन्तर्वीनीकरण एवं सेवा सम्पुष्टि समिति" की बैठक दिनांक 26.11.2022 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय : **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

अन्यान्य मद.1. माननीय सांसद-सह-सदस्य डॉ० गोपालजी ठाकुर द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्तावों पर विचार किया गया:-

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर के सत्र को नियमित किया जाय और परीक्षा एवं परीक्षाफल समय प्रकाशित किया जाय।

(ख) विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत सभी तरह के कर्मियों का वेतन बढ़ाया जाय।

(ग) डब्लू०आई०टी० में छात्रावास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(घ) एम०आर०एम० कॉलेज, नागेन्द्र झा महिला कॉलेज एवं WIT में बी०एड० के पढ़ाई की व्यवस्था की जाए।

(ङ) अमर चौधरी, भूतपूर्व सहायक प्राध्यापक, WIT को बर्खास्तगी से मुक्त करके पुनः डब्लू० आई०टी० में सहायक प्राध्यापक पर पर बहाल किया जाय।

(च) खेलो इंडिया के तहत भारत सरकार ने इंडोर स्टेडियम का प्रस्ताव दिया है उसको विश्वविद्यालय में निर्माण करवाया जाय।

(छ) विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में एम०एड० की पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(ज) पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय को स्नातकोत्तर में अलग विषय के रूप में विश्वविद्यालय में पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित हेतु कदम उठाया जाय।

निर्णय: **अध्यक्ष द्वारा आश्वस्त किया गया कि इन प्रसंगों में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।**

अन्यान्य मद 2. श्रीमती मीना कुमारी ने प्रस्ताव रखा कि प्रस्तावित आर०के० मिश्रा कॉलेज, चंदौना, दरभंगा के सचिव द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आलोक में उक्त कॉलेज को संबंधन हेतु अनुशंसित किया जाय।

निर्णय: **कुलसचिव द्वारा आश्वस्त किया गया कि इस प्रसंग में परिनियम एवं नियम के आलोक में यथोचित कार्रवाई की जायेगी।**

अन्यान्य मद 3. डॉ अमर कुमार ने प्रस्ताव रखा कि मात्र 25 हजार रूपये देनेवाले संबद्ध महाविद्यालयों में दाता बन जाते हैं किन्तु भूमि-भवन देनेवाले छूट जाते हैं। भूमि-भवन दान देनेवाले को दाता घोषित

Scanned with CamScanner

करने एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार के वारिस को दाता घोषित करने पर विचार किया जाय।

निर्णय: इस बिन्दु पर कुलसचिव ने स्पष्ट किया कि दाता बनाने का काम शासी–निकाय का है न कि विश्वविद्यालय का। शासी निकाय से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद विश्वविद्यालय में जाँच एवं अंकेक्षण कराती है। यह परिनियमानुसार होता है।

इसी क्रम में डॉ० विनोद कुमार चौधरी ने विमर्श में शामिल होते हुए 4 संबद्ध महाविद्यालयों जो डॉ० बैद्यनाथ चौधरी द्वारा स्थापित है, में डॉ० चौधरी को शासी निकाय में नहीं रखने की बात उठायी और कहा कि इनमें डॉ० बैद्यनाथ चौधरी को शामिल किया जाय।

विमर्श में भाग लेते हुए प्रायः सभी माननीय सदस्यों ने आर०के०ए० लॉ० कॉलेज, बेगूसराय के भूमि एवं भवन दाता का नाम दाता के रूप में नहीं होने तथा वहाँ के निर्वतमान प्रधानाचार्य द्वारा सेवानिवृत्ति के समय 25 हजार रूपया देकर स्वयं को दाता घोषित करवाना, सर्वथा अनुचित है। विश्वविद्यालय इस पर कार्रवाई करें।

माननीय अध्यक्ष–सह–कुलपति ने नियमन देते हुए कहा कि महाविद्यालयों को जमीन दान देने वाले व्यक्तियों को संबद्ध महाविद्यालयों में दाता घोषित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाय।

कुलसचिव ने नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया।

अन्यान्य मद 4. डॉ० गोपालजी ठाकुर ने विश्वविद्यालय के भूमि–भवन का सीमांकन करवाने का प्रस्ताव रखा।

निर्णय: सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है। इस प्रसंग में सभी आवश्यक कदम उठाये जाएँगें।

अन्यान्य मद 5. डॉ० वैद्यनाथ चौधरी ने विश्वविद्यालय परिसर के जीर्ण–शीर्ण आवासों/भवनों की मरम्मत खासकर हडाही तालाब के किनारे बने मल्टीपरपस भवन की अविलम्ब मरम्मती का प्रस्ताव रखा और कहा कि 40–45 हजार प्रतिदिन पर उक्त भवन विश्वविद्यालय द्वारा किराये पर दिया जाता है। यदि इसका जीर्णोद्धार/कायाकल्प हो जाय तो भाड़े के रूप में एक लाख रूपये प्रतिदिन पर बुक हो जायेगा।

निर्णय: कुलसचिव–सह–अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि इस पर कार्रवाई की जायेगी। अभियंत्रण विभाग से जाँच कराकर प्रस्ताव पर कार्य किया जायेगा।

कुलसचिव ने सदन को सूचित किया कि हमारा विश्वविद्यालय एक बड़े ऋण से 28 नवम्बर, 2022 को मुक्त होने जा रहा है जब विश्वविद्यालय ने अपने स्थापना के 50 वर्षों की यात्रा पूरी कर ली है, तो महाराजाधिराज डॉ० सर कामेश्वर सिंह की जन्म तिथि (28.11.2022) के पावन अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में मुख्य सड़क पर उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण माननीय कुलपति द्वारा किया जायेगा। साथ ही, इस ऐतिहासिक अवसर पर निर्मित Advanced Research Centre का भी उद्घाटन होगा जिससे पूरे राज्य में विश्वविद्यालय की छवि में चार चाँद लगेगा। कुलसचिव द्वारा दी गई सूचना पर सदन के सभी सदस्यों ने एकमत होकर इस ऐतिहासिक कार्य के लिये कुलपति को साधुवाद दिया।

अंत में कुलसचिव, प्रो० मुश्ताक अहमद ने माननीय सदस्यों की सहभागिता एवं सहयोग के लिये आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया और अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

ह0/–
(प्रो० सुरेन्द्र प्रताप सिंह)
कुलपति–सह–अध्यक्ष

ह0/–
(प्रो० मुश्ताक अहमद)
कुलसचिव–सह–सचिव

ज्ञापांक:– UD-672/22

दिनांक:– 27/11/2022

प्रतिलिपि प्रेषित:–

1. अभिषद के सभी माननीय सदस्य, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
2. सचिव, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना,
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना;
4. उप–सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना;
5. सभी पदाधिकारी, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
6. नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट), ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
7. कुलपति के सचिव/प्रति–कुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा,

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

कुलसचिव

Scanned with CamScanner